

158

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्र.कं. / 17
PBR/निगरानी/ मन्वरतौर/भू.सं. / 2017/ 4844

श्री 2-काल-आदव-सोनी
द्वारा कम्प उज्जैन के द्वारा

22-11-17

1. प्रीती पति हेमन्तसिंह
निवासी पुलिस लाईन्स के सामने मंदसौर
2. भूपेन्द्र पिता गणपतलाल सोनी
निवासी कालाखेत मंदसौर

--- प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. दुष्यतकुमार पिता श्यामकुमार सेठिया
निवासी सीनीयर एमआईजी-1
जनता कालोनी मंदसौर ----- रेस्पाडेंट/ आवेदक/ शिकायतकर्ता
2. भागीरथ दशौरा प्रबंधक नवचेतन साबुन एंव
ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित मंदसौर
निवासी रामटेकरी मंदसौर
3. प्रबंधक संचालक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड म.प्र.
द्वारा उप संचालक कम्बल केन्द्र मंदसौर
4. व्यवस्थापक खादी ग्रामोद्योग मंदसौर
5. श्रीमति प्रीति पति हेमन्तसिंह
निवासी मंदसौर
6. भूपेन्द्र पिता गणपतलाल सोनी
निवासी मंदसौर ----- रेस्पाडेंट/ अनावेदकगण

गिनरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं. विरुद्ध
आदेश दिनांक 13.11.17 पारित द्वारा अपर आयुक्त
उज्जैन ब अपील प्र.क्रं. 186/16-17

माननीय महोदय,

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा अपील प्र.क्र. 186/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 13.11.17 जिससे कि प्रार्थीगण का स्थगन आवेदन निरस्त
किया गया है से असंतुष्ट होकर यह निगरानी, प्रार्थीगण अन्य आधारों के
अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

:- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/4844

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-4-2018	<p>आवेदकगण अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री मनीष कुमार गोयल उपस्थित । यह निगरानी इस न्यायालय में अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है । मूल प्रकरण अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है । अतः यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि प्रकरण में अगले तीन माह तक यथास्थिति बनायी रखी जाये तथा अपर आयुक्त तीन माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें । कोई कार्यवाही शेष न रहने से प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>